विज्ञापन

वर्ष 2014–15 के दौरान कोचिंग कार्यक्रम चलाने हेतु केवल उन पंजीकृत सोसाईटियों/पंजीकृत कंपनियों/ट्रस्ट आदि से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए इस मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया था और तत्पश्चात् कोचिंग कार्यक्रम दिया गया था।

2. निर्धारित प्रपत्र भाग–I एवं भाग–II में प्रस्ताव निदेशक (एसएस), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कमरा सं0 1123, पर्यावरण भवन, लोधी रोड़, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली को निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत 2014–15 के लिए कार्यक्रम के आवंटन हेतु विचार करने के लिए, जैसे ही वित्तीय वर्ष 20 13–14 के लिए प्रदान किए गए कोचिंग कार्यक्रम का परिणाम/नतीजा उपलब्ध हो जाए, भेजे जा सकते हैं।

3. प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र भाग–I एवं भाग–II मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। वर्तमान में भाग–III एवं भाग–IV में राज्य की संस्तुति अपेक्षित नहीं हैं। वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचार किया जाएगा।

4. यह निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के दिशा–निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार है।

******